संख्या : 177 / XXII / 2005

प्रेषक,

मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव
समस्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सूचना अनुभाग देहरादून दिनांक 29 जुलाई 2005

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु तैयारी के संबंध में निर्देश।

महोदय,

सूचना का अधिकार कानून दिनांक 15 जून 2005 से अधिनियम का रूप ले चुका है। इस अधिनियम के कतिपय प्राविधान जो अधिनियम के किग्रान्वयन की तैयारी से संबंधित है (धारा–4,5,12,13,15,16,24,27 तथा 28) दिनांक 15 जून 2005 से ही लागू हो गये हैं तथा अधिनियम के शेष प्राविधान दिनांक 15 जून 2005 से 120वे दिन से लागू होंगे। इस प्रकार का सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिल जायेगा।

2. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में धारा 2 (एच) कें अंतर्गत लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार उत्तरांचल राज्य में निम्न सभी इकाईयाँ लोक प्राधिकारी हैः

(i) सचिवालय के शासन के समस्त विभाग।
(ii) शासन के समस्त निदेशालय।

विभाग के आकार तथा कार्यों की प्रकृति के अनुसार निदेशालय की लोक प्राधिकारी इकाईयां निम्न स्तर पर हो सकती हैं :

(अ) मुख्यालय स्तर।
(ब) मण्डल स्तर।
(स) जिला स्तर।
(द) सब डिवीजन स्तर।
(य) विकास खण्ड स्तर।

(iii) प्रत्येक सार्वजनिक निगम, परिषद, प्राधिकरण, संस्थान, स्वायत्तशासी संस्था तथा अन्य निकाय (निदेशालय की भांति इन संस्थाओं के कार्यलय भी विभिन्न स्तरों पर हो सकते हैं)।

(iv) शहरी क्षेत्र की समस्त स्थानीय निकाय जिसमें प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम सम्मिलित हैं।

(v) ग्रामीण क्षेत्र की समस्त स्थानीय निकाय जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सम्मिलित है।

(vi) ऐसी गैर सरकारी संस्थायें जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्त पोषित (Substantially Financed) है।

3. यह निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में सभी लोक प्राधिकारियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिनियम के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी भलि भांति करा दी जाय। उन्हें अधिनियम के संबंध में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ साथ बैठकें/कार्यशाला आयोजित करने के अधिनियम के संबंध में सामग्री उपलब्ध करायी गई है। इसमें सुसंगत सामग्री की प्रतियां सभी लोक प्राधिकारियों को भी उपलब्ध करा दी जायें।

4. पैरा–2 में उल्लेख किये गये प्रत्येक लोक प्राधिकारी का निम्न तीन श्रेणियों के अंतर्गत अधिकारियों को नामित करना है :

क. लोक सूचना अधिकारी (PIO) धारा 5
ख. सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) धारा 5
ग. विभागीय अपील अधिकारी – प्रथम अपील (DAA) धारा 19

इन अधिकारियों को नामित किये जाने के संबंध मे निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जाये :

(i) अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व लोक सूचना अधिकारी का है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यह अधिकारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं. लोक सूचना अधिकारी को नामित करते समय यह ध्यान में रखा जाय कि ऐसे स्तर के अधिकारी को नामित किया जाय जो यथा सम्भव आने स्तर से ही सूचना उपलब्ध करा सकें और किसी अन्य कार्यालय से सूचना मंगाकर उपलब्ध कराने की आवश्यकता कम से कम पड़े।

(ii) प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिये जितनी आवश्यकता हो उतने लोक सूचना अधिकारी नामित किये जायेंगे ।

(iii) प्रत्येक विभाग अपने लोक प्राधिकारियों के लिये उनके आकार, गतिविधियां, कार्यालयों की संख्या, कार्य की प्रकृति तथा जनसाधारण को सूचना की आवश्यकता के आधार पर लोक सूचना अधिकारी नामित करेगा। लोक सूचना अधिकारी शासन स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर, मण्डल स्तर पर, जिला स्तर पर, सब–डिवीजन स्तर पर तथा विकास खण्ड स्तर आदि पर जैसी आवश्यकता हो नामित किये जायें।

(iv) लोक सूचना अधिकारी यथा सम्भव ऐसे अधिकारी हों, जो मुख्यतः क्षेत्र भ्रमण के कर्तव्य सम्पादन करने में ही न लगे हुयें हों

(V) लोक सूचना अधिकारी यथा सम्भव कार्यालयाध्यक्ष (Head of the Office) हों ताकि वे अपने कार्यलय की अभिरक्षा में रखी गई सूचनाओं को जनसाधारण को सुलभता से उपलब्ध कराने में सक्षम हो सके।

(vi) अधिनियम में सहायक लोक सूचना अधिकारयों को नामित किये जाने का प्राविधान भी है। अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिये सहायक लोक सूचना

अधिकारी को आवेदन दिया जाता है तो ऐसी दशा में सहायक लोक सूचना अधिकारी उसे लोक सूचना अधिकरी को भेजेगा और इसके लिये अधिनयम में अधिकतम 5 दिन का समय नियम किया गया है। प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी के नीचे के स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाना है। प्रत्येक विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर तथा सब डिवीजन स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित करेगा। उद्देश्य यह है कि दूरस्थ स्थानों में यदि जनसाधारण लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क नही कर पाते हैं तो सहायक लोक सूचना अधिकारी निकटतम स्थान पर उपलबध हों ताकि उनके माध्यम से जन साधारण को सूचना प्राप्त हो सके।

(vii) प्रत्येक लोक प्राधिकारी को प्रथम अपील हेतु विभागीय अपील अधिकारी (DAA) भी नामित किये जाने हैं, जो लाके सूचना अधिकारियों से उच्च स्तर के अधिकारी होंगे। जनसाधारण की सुविधा की दृष्टि से यह उपयुक्त होगा कि ऐसे अपील अधिकारी यथा संभव उसी स्थान पर कार्यरत हों, जहां लोक सूचना अधिकारी कार्यरत है।

(viii) गैर सरकारी संस्थायें जिन्हें लोक प्राधिकारी चिन्हित किया गया है में भी लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपील अधिकारी नामित कराया जाये।

(ix) लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी की संख्या एवं उन्हें किस स्तर तक नामित किया जाये, यह निर्धारित करते समय जनसाधारण की सुविधा का ध्यान में रखा जाये। यह भी देखा जाये की बिचौलियों की भूमिका विकास/प्रोत्साहित न हो पाये।

5. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्थानीय निकाय लोक प्राधिकारी हैं। अतः प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम को शहरी क्षेत्र में तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम को शहरी क्षेत्र तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र में लोक सूचना अधिकारियों, तथा विभागीय अपील अधिकारी नामित करने होंगे। प्रत्येक इकाई को अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं की सूचना से संबंधित मैनुअल भी तैयार करने होंगे।

6. दिनांक 23–24 जुलाई 2005 को आयोजित राज्य कार्यशाला में ग्राम पंचायतों में प्रत्येक ग्राम प्रधान को लोक सूचना अधिकारी बनाये जाने के संबंध में विचार विमर्श हुआ। चूंकि ग्राम पंचायतों में सभी रिकार्डस प्रधान के पास उपलब्ध रहते है तथा प्रदेश में वर्तमान में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की कमी है, अतः यह उपयुक्त समझा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधान को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाये। सचिव, पंचायती राज इस संबंध में विचार एवं परीक्षण करके तत्काल आवश्यक कार्रवाई करेंगे अथवा यथा आवश्यकता पंचायती राज अधिनियम में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई करेंगे।

7. अधिकांश विभागों द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपील अधिकारी को नामित किये जाने का कार्य सम्पादित कर लिया गया है। उक्त पैरा – 4 में इंगित कुछ मार्गदर्शक बिन्दुओं के आधार पर प्रत्येक विभाग द्वारा नामित इन अधिकारियों की पुनः समीक्षा कर ली जाय और संलग्न प्रर्फोमा में इनसे संबंधित सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 5 अगस्त 2005 से पूर्व उपलब्ध करा दी जाय (संलग्नक –1)।

8. सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा 16 बिन्दुओं पर अपनी ओर से ही स्वतः सूचनायें घोषित की जानी है। सूचनाओं के प्रकटीकरण के संबंध में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जाय।

क. शासन स्तर
ख. निदेशालय स्तर
ग. मण्डल स्तर
घ. जिला स्तर

मैनुअल की विषय सामग्री में लचीलापन रखा जा सकता है। विभिन्न स्तरों के लिये तैयार कराये जाने वाले मैनुअल की विषय सामग्री अलग अलग हो सकती है। कुछ विषय सामग्री सभी स्तरों के मैनुअल्स के लिये समान हो सकती है। कुछ सामग्री ऐसे भी हो सकती हैं जो जिला स्तर के मैनुअल में हों तथा शासन/मुख्यालय स्तर के मैनुअल के लिये प्रासंगिक न हो। विभिन्न स्तरों के लिये मैनुअल में हों तथा शासन/मुख्यालय स्तर के मैनुअल के लिये प्रासंगिक न हों। विभिन्न स्तरों के लिये मैनुअल की विषय सामग्री क्या हो, इसे तय करते समय यह ध्यान रखा जाय कि किस स्तर पर जनसाधारण को किस प्रकार की सूचना की आवश्यकता प्राय रहती है।

(iii) अधिनियम की धारा –4 का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी लोक प्राधिकारी जन साधारण की रूचि से संबंधित सूचनाओं को स्वतः ही अग्रिम रूप में प्रकट कर दें ताकि इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने की आवश्यकता न्यूनतम हो जाये। मैनुअल तैयार करते समय इस आधारभूत सिंद्धान्त का ध्यान रखा जाय।

(iv) चूंकि Pro Active Disclosure का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को अपनी ओर से ही सूचनायें उपलब्ध कराना है, अतः प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा इस विषय का विस्तार से अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाये कि जन साधारण द्वारा सामान्यतः किन किन सूचनाओं को मांगा जाता है और किस जानकारी को लेने के लिये वह प्रायः कार्याकाल में आते हैं।

(v) जनसाधारण को सुलभ रूप से सूचनायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार धारा 4 के अंतर्गत जो 16 बिन्दु बताये गये हैं, उनके अतिरिक्त भी अन्य बिन्दुओं पर सूचनायें सम्मिलित की जायें ताकि अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगे जाने की आवश्यकता न्यूनतम हो जाय।

(vi) शासन के वित्त विभाग के "वित्त एवं हकदारी निदेशालय" द्वारा 16 बिन्दुओं पर मैनुअल तैयार किये गये हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पर दिनांक 23 एवं 24 जुलाई 2005 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में आये हुये विशेषज्ञों द्वारा इन मैनुअल्स को सराहा गया है। इन मैनुअल्स की एक प्रति आपको उपलब्ध करा दी गयी है। सभी विभागों द्वारा अपने मैनुअल तैयार कराने के लिये उसका उपयोग किया जा सकता है। इन मैनुअलस की प्रति आपको उपलब्ध करा दी गयी है। सभी विभागों द्वारा अपने मैनुअलस तैयार कराने के लिये उसका उपयोग किया जा सकता हैं

(vii) टाटा कन्सलटैन्सी सर्विसेज द्वारा भी कुछ विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव आदि से विचार विमर्श करके तथा दिनांक 23 एवं 24 जुलाई 2005 को कार्यशाला में हुई चर्चा के आधार पर इन 16 मैनुअल्स का Template भी तैयार किया गया है, जिसकी प्रति आपको उपलब्ध करायी जा चुकी है। यद्यपि सभी लोक प्राधिकरियों के संबंध में एक कॉमन प्रारूप विकसित किया जाना संभव नही

है तथापि लोक प्राधिकारियों द्वारा मैनुअल तैयार करते समय इस Template का उपयोग भी किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन/संशोधन अवश्यक कर लिये जायें।

(vii) इन मैनुअल्स को तैयार करने के पश्चात नियमित अंतराल पर अध्यावधिक भी किया जायेगा। किस सूचना को किस सम्यावधि पर अध्यावधिक की जाना है, इसके संबंध में अधिनियम के अंतर्गत बनाये जाने वाले नियमों के अंतर्गत अलग से व्यवस्था की जायेगी।

(iv) इन मैनुअल्स की सूचनाओं को पुस्तक, नोटिस बोर्ड, विभागीय पुस्ताकलय, निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपलब्धता तथा इन्टरनेट आदि के माध्यम से जनसाधारण को सुलभ कराया जाना हैं किस स्तर पर किस माध्यम से सूचनाओं को जन साधारण को उपलब्ध कराया जाना हैं के संबंध में विभाग उपलब्ध संसाधन अपने कार्यों एवं सूचना की प्रकृति तथा जनसाधारण को उपलब्ध कराया जाना है कि संबंध में विभाग उपलब्ध संसाधन अपने कार्यों एवं सूचना की प्रकृति तथा जनसाधारण की सुविधा के आधार पर निश्चित करेंगे। मुख्यालय/शासन स्तर पर इन्टरनेट के माध्यम से सूचनाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायें।

9. समस्त विभागों द्वारा तैयार कराने का कार्य प्रगति पर है और कुछ विभागों के लोक प्राधिकारियों द्वारा समस्त अथवा कुछ मैनुअल तैयार भी कर लिये गये हैं। पैरा –8 में दिये गयो बिन्दुओं के आधार पर इन तैयार कराये जा रहे मैनुअल्स की पुनः समीक्षा कर ली जाय और यथा आवश्यकता संशोधन कर लिया जाये।

10. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में प्रत्येक जिले में एक दिवसीय कार्यशाला के तत्काल आयोजित करने की आवश्यकता है। उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी नैनीताल दिनांक 10 अगस्त से 20 अगस्त 2005 के मध्य सभी जनपदों में यह कार्यशाला आयोजित करेंगे। इस संबध में अकादमी सभी जिलाधिकारियों से सम्पर्क करके तत्काल कार्यशाला कार्यक्रम तैयार करेंगे।

अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपील अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल इस उद्देश्य हेतु सर्वप्रथम 10 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिलाये जाने का कार्यक्रम करेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो दिवसीय होगा तथा इसे दिनांक 20–25 अगस्त 2005 के मध्य देहरादून तथा नैनीताल में आयोजित किये जायेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिलाधिकारियों द्वारा प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के पर्यवेक्षण में दिनांक 1 सितम्बर से 20 सितम्बर 2005 के मध्य आयोजित कराये जायेंगे।

प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रशासनिक अकादमी नैनीताल बाहरी संस्थाओं यथा सी.एच.आर.आई. नई दिल्ली तथ्य यशदा पुणे तथा अन्य संस्थाओं से आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्राप्त करेंगे।

11. पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम प्रधान के प्रशिक्षण हेतु सचिव पंचायत द्वारा स्वैच्छिक संस्थओं के सहयोग से अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जायेगा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 1 सितम्बर से 30 सितम्बर 2005 तक पूर्ण किया जायेगा।

12. सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की तैयारी हेतु निम्न कार्य किये जाने भी आवश्यक हैः

i. सूचना आयोग का गठन.

ii अभिसूचना तथा सुरक्षा एजेन्सी को अधिनियम की परिधि से बाहर रखे जाने हेतु अधिसूचना निर्गत कराया जाना।

iii अधिनियम के अन्तर्गत नियमों को बनाया जाना।

iv अधिनियम के संबंध में जन साधारण को शिक्षित करने तथा राजकीय कार्यालयों की सुविधा एवं सरल भाषा में एक प्रेक्टीकल गाईड मैनुअल तैयार करना।

उक्त कार्य संबंधित विभागों को साथ समन्वय करते हुये सूचना विभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

13. सूचना के अधिकार अधिनियम 2004 के क्रियान्वयन हेतु एक समय सारिणी तैयार करके पूर्व में ही भेजी जा चुकी है। इस शासनादेश में दिये गये निर्देशों को परिप्रेक्ष्य में संशोधित समय सारिणी संलग्न की जा रही है (संलग्नक)। कृपया इस समय सारिणी के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

14. इस शासनादेश में दिये गये बिन्दुओं पर तत्परता एवं समयबद्ध रूप से कार्रवाई की जाये।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय

(एम रामचन्द्रन)

संख्या : 177/XXII/2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निदेशक, उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
3. समस्त अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, देहरादून, उत्तरांचल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से

(डी.के कोटिया)
सचिव

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

लोक प्राधिकारी इकाईयों मे लोक सूचना अधिकारियों , सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों का विवरणः

विभाग का नाम.....

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी इकाई का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी
क	ख	ग	घ	च

(.....)
प्रमुख सचिव / सचिव

संलग्नक –1

उत्तरांचल शासन

.....विभाग

संख्या /VI/2005

देहरादूनः दिनांक जुलाई,2005

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा–5 एवं धारा –19 में क्रमशः लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलय अधिकारी के संबंध में प्राविधान किये गये हैं। इन व्यवस्थाओं के अधीन .....विभाग के अधीन विभिन्न लोक प्राधिकारी ईकाईयों में लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्यों हेतु संलग्नक प्रारूप के अनुरूप नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. इन कार्मिकों को इन कार्यों हेतु अलग से कोई भत्ता एवं वेतन देय नहीं होगा।

(.....)

प्रमुख सचिव / सचिव

सूचना के अधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण प्राविधानों के कियान्वयन हेतु समय सारिणी।

क्रम	कार्य	समय सीमा	संबंधित विभाग
1	प्रत्येक विभाग में "लोक प्राधिकारी" इकाईयों का चिन्हींकरण	5 अगस्त 2005	समस्त विभाग
2	लोक प्राधिकारी द्वारा 16 मैनुअल को तैयार करना एवं उनका प्रकाशन	संलग्न	समस्त विभाग
3	लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों का चिन्हींकरण एवं नामांकन।	5 अगस्त 2005	समस्त विभाग
4	लोक सूचना अधिकारी के निर्णय पर अपील हेतु अपीलेट अधिकारी का चिन्हींकरण एवं नामांकन।	5 अगस्त 2005	समस्त विभाग
5	राज्य लोक सूचना आयोग का गठन	31 अगस्त 2005	नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
6	सुरक्षा व सतर्कता संगठनों/इकाईयों को अधिनियम की परिधि से बाहर रखना तथा उन्हें अधिसूचित करना।	31 अगस्त 2005	गृह विभाग
7	प्रत्येक जिले में कार्यशाला का आयोजन।	10 से 20 अगस्त 2005	उत्तरांचल प्रशासनिक नैनीताल।
8.	प्रत्येक जिले में कार्यशाला का आयोजन	20 से 25 अगस्त 2005	उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल
9	अधिनयम के प्राविधानों के कियान्वयन हेतु नियमावलियों को तैयार करना	31 अगस्त 2005	सूचना विभाग
10	लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपील अधिकारियों को जिलेवार प्रशिक्षण।	1 सितम्बर 30 सितम्बर 2005	जिलाधिकारी एवं प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
11	प्रैक्टिकल गाईड मैनुअल तैयार करना।	15 सितम्बर 2005	जिलाधिकारी एवं प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।